/ एक / 2015

COURT FEE — भारत INDIA — बीस रुपये TWENTY RUPEES — 20

शीघ्र पेश

(55)

न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी निगरानी 1067-I-15

श्री ए. के. अग्रवाल एड. द्वारा आज दि. 13-5-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-5-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती सुनीत्रा पत्नी स्व. स्वरूपकृष्ण शर्मा
2. अनुराग,
3. अविनाश,
4. अभिजीत,
5. अचल,

समस्त पुत्रगण स्व.श्री स्वरूपकृष्ण शर्मा, जाति ब्राह्मण, समस्त निवासीगण मकान नं.21, भगतसिंह परिसर, विजयनगर, इन्दौर (म0प्र0)

—— प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्रीमती राममूर्ति पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नं.8 अमृत इनक्लेव अध्योध्या बायपास, भोपाल (म0प्र0)
2. श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नि स्व. बलदेव राज शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी महावीर वार्ड, खुरई तहसील खुरई, जिला सागर (म0प्र0)
3. श्रीमती संतोष कुमारी पत्नि श्री महेश राज भानोट, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नं.295, तिलकनगर, अमृतसर, जिला अमृतसर (पंजाब)
4. श्रीमती तृप्ता शर्मा पत्नि श्री बीरेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी द्वारकापुरी सेक्टर 22 प्लाट नं.217, जानकी अपार्टमेन्ट, नई दिल्ली
5. रूपकृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री अमीरचंद शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम ककरावली, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म0प्र0)
6. श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र स्व. श्री अमीरचंद शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी शास्त्री वार्ड खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर (म0प्र0)

AS 12.5.15
A. K. Agarwal.

7. श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नि श्री श्याम सुन्दर शर्मा, मृतक वारिसान
अ संदीप शर्मा,
ब गगन शर्मा,
स गोलू शर्मा,
द कुमारी स्वाति शर्मा,
इ कुमारी गुडिया शर्मा,
पुत्र व पुत्रीगण स्व. श्री श्यामसुन्दर शर्मा निवासीगण शास्त्री वार्ड खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर (म0प्र0)
—— रिस्पोंडेन्टस्

निगरानी आधीन धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश निर्णय दिनांक 25.04.2015 प्रकरण क्रमांक 481/अपील/2010–11 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, पीठासीन माननीय श्री एन0पी0 डहेरिया साहब, अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।

श्रीमान् जी,

प्रार्थीगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, अधीनस्थ विद्वान अपर आयुक्त महोदय का निर्णय विपरीत विधान एवं नियमों के विरूद्ध होने से तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत निष्कर्ष पर आधारित होने से निरस्त होने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उठाई गई आपत्ति के आधार पर विचार न कर मनमाना आदेश पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय धारा 44(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिये गये अधिकारों का उपयोग न कर कानून के विपरीत निर्णय दिया है, आदेश दूषित होकर निरस्त होने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में उठाये गये बिन्दु पर कोई विचार न कर उक्त आदेश देने में त्रुटि की है। इस प्रकार कर्त्तव्यों का निर्वहन न कर पारित आदेश से प्रार्थीगण को न्याय नहीं मिला है, अतः आदेश निरस्त होने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1067/एक/2015 जिला–बिदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-11-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 481/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के न्यायालय में म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम ककराबली तहसील कुरवाई मे स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11 रकवा 2.884 है0, सर्वे नं. 12/1 रकवा 0.167, सर्वे क्रमांक 12/2 रकवा 0.648, सर्वे क्रमांक 13/1 रकवा 0.606, सर्वे क्रमांक 13/2 रकवा 0.449, सर्वे क्रमांक 7/2,7/3 रकवा 1.901 है0 कुल रकवा 6.655 है0 जो उनकी माता शांती देवी पत्नी स्व. अमीर चन्द्र जी शर्मा के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि रहीं है। तथा उनका श्रीमती शांती देवी की मुत्यु उपरान्त 1/7 भाग अर्थात् 0.945 है0 का हिस्सा आता है। किन्तु नामान्तरण पंजी क्रमांक 38 आदेश दिनांक 8.07.1986 एवं नामान्तरण पंजी क्रमांक 10 आदेश दिनांक 6.1.1999 द्वारा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरण किया गया है। जिसे निरस्त किया जाये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुनवाई उपरान्त अपील स्वीकार की गयी। तथा नामान्तरण पंजी क्रमांक 38 आदेश दिनांक 08.071986 एवं नामान्तरण पंजी क्रमांक 10 आदेश दिनांक 06. 01.1999 निरस्त करते हुये प्रकरण नायब तहसीलदार को उभय पक्षों की सुनवाई उपरान्त आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल केम्प बिदिशा के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 25.04.2015 से अस्वीकार कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।	

3— निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4— आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में उठाये गये आधारो पर कोई विचार नहीं किया है, जिससे आवेदकगण को न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा कृष्ण शर्मा पत्नी बल्देव राज शर्मा को अपील में पते अनुसार तामील नहीं करवाई एवं भू—राजस्व संहिता के अन्तर्गत तामील के लिये बने नियमों के अन्तर्गत तामील कराये जाने के प्रावधानो का पालन नहीं किया गया। जानबूझकर आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के प्रतिकूल है, आवेदकगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। तथा उत्तराधिकार नियमों को अनदेखा किया गया है अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी वह स्पष्टतः अवधि बाहय थी। ऐसी स्थिति में विलंब के आवेदन पत्र का सर्वप्रथम निराकरण किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने तथा अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा अपील में आदेश पारित कर प्रकरण नायब तहसीलदार इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है। कि मृतक शांती देवी के समस्त वैध वारिसान की विधि संगत सुनवाई उपरान्त समस्त हितवद्व पक्षकारो को समुचित सुनवाई का अवसर एवं साक्ष्य का समुचित साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रकरण का गुण दोषों के आधार पर विधि संगत निराकरण करें। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्व अपील किये जाने का प्रावधान नहीं है। अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण मे आदेश पारित करते हुये यह निर्देश दिया है, कि उपरोक्त प्रकरण में आवेदकगण द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गयी है उससे प्रकरण विलंबित होगा जिससे यथाशीघ्र न्याय प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के आदेश को

यथावत् रखा जाकर यह निर्देश दिया है। कि विचारण न्यायालय प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर यथाशीघ्र करें। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश को हस्तक्षेप किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश के स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि ग्राम ककराबली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11 रकवा 2.084 है0 वर्तमान वर्ष 2010–11 की खसरा नकल में निर्मलाबाई पत्नी श्याम सुन्दर के नाम भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज है। खसरा वर्ष 1986–87 लगायत 1990–91 में भूमि सर्वे क्रमांक 11 रकवा 2.884 है0 एवं सर्वे क्रमांक 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, रकवा क्रमशः 0.167 है0, 0. 648 है0, 0.606 है0 तथा 0.449 है0 आधार वर्ष 1986–87 में यह भूमि शांती देवी पत्नी अमीर चन्द्र के नाम भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज थी। जो बिना किसी आधार के स्वरूप कृष्ण पुत्र अमीरचन्द्र के नाम का उल्लेख है। जो सुनित्रा के पति थे। स्पष्टतः अपीलाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 11 आवेदक क्रमांक 1 सुनित्रा के पति एवं निर्मला शर्मा के नाम नामान्तरण पंजी क्रमांक 38 के आधार पटवारी रिकार्ड में अमल होने का उल्लेख केवल भूमि सर्वे क्रमांक 7/2 एवं 7/3 के संबंधित कॉलम में वर्ष 1987–88 में दर्ज है। विवादित भूमि का सुनित्रा के पति एवं निर्मला शर्मा के नाम किस आधार पर पटवारी द्वारा दर्ज की गयी। उपलब्ध अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भूमि सर्वे क्रमांक 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 रकवा क्रमशः 0.167, 0.648, 0.606 एवं 0.449 एवं भूमि सर्वे क्रमांक 7/2, 7/3 रकवा 1.901 है0 मृतक शांती देवी पत्नी अमीरचन्द्र की भूमि का श्रीमती सुनित्रा के पति के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के विधि विरूद्व प्रक्रिया से उनके नाम पटवारी अभिलेख में भूमि स्वामी अभिलेख में दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण नायब तहसीलदार कुरवाई का इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि मृतक शांती देवी के वैध वारिसान की विधि संगत सुनवाई उपरान्त समस्त हितवद्व पक्षकारो के समुचित सुनवाई का अवसर एवं साक्ष्य समुचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रकरण का निराकरण गुण दोषों किये जाने के निर्देश दिये है। ऐसे निर्देश को अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा विधिवत् माना

जाकर आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाकर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 स्थिर रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

सदस्य